राजनीती - 12

निबन्धात्मक प्रश्न

1. एकधुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ क्या अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है ? यदि नहीं तो क्यों ? एकधुवीय विश्व व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता को बताइए।

उत्तर– सन् 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् विश्व एकध्रुवीय हो गया है। इस एकध्रुवीय विश्व की एकमात्र महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका है। वर्तमान में इसका कोई प्रतिद्वन्द्वी देश नहीं है। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका को अपनी मनमानी करने से नहीं रोक सकता। एकधुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ निम्नलिखित कारणों से संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी मनमानी करने से नहीं रोक सकता–

(i) एकमात्र मजबूत सैन्य व आर्थिक शक्ति--- सोवियत संघ की अनुपस्थिति में अब संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति है। अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के बल पर संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है।

(ii) संयुक्त राष्ट्र संघ पर अमेरिकी प्रभाव की अधिकता--- संयुक्त राष्ट्र संघ में संयुक्त राज्य अमेरिका का अत्यधिक प्रभाव है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान करने वाला देश है। अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी भू-क्षेत्र में स्थित है और इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव इसमें बढ़ जाता है। राजनीति संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह इसके नागरिक हैं।

(iii) संयुक्त राज्य अमेरिका के पास निषेधाधिकार की शक्ति होना--- संयुक्त राज्य अमेरिका के पास निषेधाधिकार (वीटो पॉवर) की शक्ति है। यदि अमेरिका को कभी यह लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है अथवा अमेरिका को यह प्रस्ताव ठीक न लगे तो अपनी निषेधाधिकार शक्ति से उसे रोक सकता है।

(iv)संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में अमेरिकी प्रभाव--- संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी ताकत और निषेधाधिकार शक्ति के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसकी बात को महत्व प्रदान किया जाता है।

(v) विश्व समुदाय में फूट डालने में सक्षम--- संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी सैन्य एवं आर्थिक ताकत के बल पर विश्व समुदाय में फूट डाल सकता है और डालता भी है ताकि उसकी नीतियों का विरोध संयुक्त राष्ट्र संघ में कमजोर हो जाए। इससे स्पष्ट होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राज्य अमेरिका की मनमानी पर अंकुश लगाने में विशेष सक्षम नहीं है।

एकधुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता-- यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ इस एकधुवीय विश्व में अमेरिका को अपनी मनमानी करने से नहीं रोक सकता, लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता

को नकारा नहीं जा सकता।

इस एकध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रासंगिकता को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत स्पष्ट किया जा सकता है–

(i) वार्तालाप के मंच के रूप में उपयोगिता---- संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राज्य अमेरिका एवं शेष विश्व के मध्य विभिन्न मुद्दों पर बातचीत स्थापित कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसा कई बार किया भी है।

(ii) अमेरिकी दृष्टि से उपयोगिता-- अमेरिकी नेता संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते दिखाई देते हैं, लेकिन वे इस बात को भी समझते हैं कि झगड़ों एवं सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से 193 देशों को एक साथ किया जा सकता है।

(iii) शेष विश्व के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता--- शेष विश्व के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जहाँ अमेरिकी रवैये एवं नीतियों पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। यह बात ठीक है कि अमेरिका के विरुद्ध शेष विश्व शायद ही कभी एकजुट हो पाता है और अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना एक सीमा तक असम्भव है, लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ ही वह स्थान है जहाँ अमेरिका के किसी विशेष रवैये एवं नीति की आलोचना की सुनवाई हो सकती है । निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था होने के बावजूद वर्तमान विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता बनी हुई है।

2. भारत-पाकिस्तान के विभाजन के लिए उत्तरदायी कारणों व परिणामों का वर्णन कीजिए।

उत्तर--- क्या भारत विभाजन अनिवार्य था--- भारत के विभाजन के सम्बन्ध में प्रश्न यह है कि क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था और उसे टाला नहीं जा सकता था, इसके उत्तर में दो पक्ष हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी पुस्तक 'इण्डिया विन्स फ्रीडम' में यह विचार रखा कि भारत-विभाजन अनिवार्य नहीं था तथा नेहरू व पटेल ने उसे अपनी व्यक्तिगत इच्अओं के आधार पर ही स्वीकार किया था।

दूसरे पक्ष का विचार यह है कि विभाजन को टाला नहीं जा सकता था तथा उन परिस्थितियों में विभाजन अनिवार्य हो था। यह विचार सत्य के अधिक समीप दिखाई पड़ता है क्योंकि उन परिस्थितियों में भारत विभाजन अपरिहार्य ही हो गया था जैसा कि साम्प्रदायिक दंगों ने कांग्रेस के नेताओं को यह विश्वास दिला दिया था कि अविभाजित भारत की कल्पना अव्यावहारिक है व केवल कोरा स्वप्न है। पसिवल स्पीयर के शब्दों में, "सिद्धान्त रूप में विभाजन पर कितना भी अफसोस किया जाए, परन्तु संभवत: देश के व्यापक हितों में यह आवश्यक था।"

भारत का विभाजन-14-15 अगस्त, 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आये। भारत और पाकिस्तान का विभाजन दर्दनाक था तथा इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था।

विभाजन के कारण- (i) मुस्लिम लीग ने 'द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त' की बात की थी। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश अर्थात् पाकिस्तान की मांग की।

(ii) भारत के विभाजन के पूर्व ही देश में दंगे फैल गए ऐसी स्थिति में कांग्रेस के नेताओं ने भारत-विभाजन की बात स्वीकार कर ली।

भारत-विभाजन के परिणाम- भारत और पाकिस्तान विभाजन के निम्नलिखित परिणाम सामने आए–

(i) आबादी का स्थानान्तरण-- भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद आबादी का स्थानान्तरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदीपूर्ण था। मानव-इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानान्तरणों में से यह एक था। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को अत्यन्त बेरहमी से मारा।

(ii) घर-परिवार छोड़ने के लिए विवश होना--- विभाजन के फलस्वरूप लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए तथा अक्सर अस्थाई तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। यहाँ की स्थानीय सरकार य पुलिस इन लोगों से बेरुखी का बर्ताय कर रही थी।

(iii) महिलाओं व बच्चों पर अत्याचार-- विभाजन के फलस्वरूप सीमा के दोनों ओर हजारों की संख्या में औरतों को अगवा कर लिया गया। उन्हें जबर्दस्ती शादी करनी पड़ी तथा अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा। कई परिवारों में तो खुद परिवार के लोगों ने अपने 'कुल को इज्जत' बचाने के नाम पर घर की बहू-बेटियों को मार डाला।

(iv) हिंसक अलगाववाद--- विभाजन में सिर्फ सम्पत्ति, देनदारी और परिसम्पत्तियों का ही बँटवारा नहीं हुआ बल्कि इस विभाजन में दो समुदाय जो अब तक पड़ोसियों की तरह रहते थे, उनमें हिंसक अलगाववाद व्याप्त हो गया।

(v) भौतिक सम्पत्ति का बंटवारा--- विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर छेड़कर सीमा पार जाना पड़ा तथा वित्तीय सम्पदा के साथ-साथ टेविल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्ययंत्रों तक का बँटवारा हुआ।

(vi) अल्पसंख्यकों की समस्या-- विभाजन के समय सीमा के दोनों तरफ 'अल्पसंख्यक' थे। जिस जमीन पर वे और उनके पूर्वज सदियों तक रहते आए थे। उसी जमीन पर वे 'विदेशी' बन गए थे। जैसे ही देश का बटवारा होने वाला था वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे।

3. भारतीय इतिहास में राष्ट्रपति पद के लिए हुए 1969 के चुनाव सम्बन्धी घटनाक्रम व परिणामों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर– भारतीय इतिहास में राष्ट्रपति पद के लिए हुए सन् 1969 के चुनाव संबंधी घटनाओं व परिणामों का वर्णन निम्नानुसार है–

(i) कांग्रेस के दो गुटों में टकराव-- सिंडिकेट व इंदिरा गांधी के बीच की गुटबाजी सन् 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर सामने आ गई। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद उस

वर्ष सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन. संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सफलता प्राप्त की।

(ii) मोरारजी देसाई द्वारा त्यागपत्र-- इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण व भूतपूर्व राजा-महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार यानी 'प्रिवीपर्स' को समाप्त करने जैसी कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा भी की। उस समय मोरारजी देसाई देश के उपप्रधानमंत्री तथा वित्तमंत्री थे। इन दोनों मसलों पर प्रधानमंत्री व उनके बीच गहरे मतभेद उभर कर सामने आए तथा इसके फलस्वरूप मोराराजी देसाई ने सरकार से किनारा कर लिया।

(iii) कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा व्हिप जारी करना--- दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में शक्ति को आजमा ही लिया जाए। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस. निजलिंगप्पा ने व्हिप जारी किया कि सभी 'कांग्रेसी' सांसद तथा विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार एन. संजीव रेड्डी को वोट डालें।

इंदिरा गांधी के समर्थक गुट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक आयोजित करने हेतु याचना की, परन्तु यह .याचना स्वीकार नहीं की गई। वी. वी. गिरि का गुप्त तौर पर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने को कहा। इसका तात्पर्य यह था कि कांग्रेस के सांसद तथा विधायक अपनी मनमर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं।

(iv) चुनावों के परिणाम--- अंततः राष्ट्रपति पद के चुनाव में वी. वी. गिरि ही विजयी हुए। वे स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जबकि एन. संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार को हार से पार्टी का टूटना तय हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है। सन् 1969 के नवंबर तक सिंडिकेट की नेतृत्व वाले कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस (ऑर्गनाइजेशन) और इंदिरा गांधी को नेतृत्व वाले कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस (रिक्विजिनिस्ट) कहा जाने लगा था। इन दोनों दलों को क्रमश: 'पुरानी कांग्रेस' और 'नई कांग्रेस' भी कहा जाता था। इंदिरा गांधी ने पार्टी की इस टूट को विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में सामने रखा। उन्होंने इसे 'समाजवादी' तथा 'पुरातनपंथी' व गरीबों के समर्थक व अमीरों के तरफदार के बीच की लड़ाई करार दिया।

4**. संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं और एजेंसियों का सुमेल उनके काम से करें—**

(i) आर्थिक और सामाजिक परिषद	**(क) सदस्य देशों के बीच मौजूद विवादों का निपटारा**
(ii) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय	**(ख) सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता**
(iii) अन्तर्राष्ट्रीय आण्विक ऊर्जा एजेंसी	**(ग) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा का संरक्षण**
(iv) सुरक्षा परिषद	**(घ) परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा**

(ङ) वैश्विक मामलों पर बहस मुबाहिसा

उत्तर--

(i) आर्थिक और सामाजिक परिषद (ख) सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (क) सदस्य देशों के बीच मौजूद विवादों का निपटारा

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय आण्विक ऊर्जा एजेंसी (घ) परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा

(iv) सुरक्षा परिषद (ग) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा का संरक्षण

(ङ) वैश्विक मामलों पर बहस मुबाहिसा

5. निम्न कार्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों से सुमेलित करें—

(क) वैश्विक वित्त की देखरेख (i) विश्व व्यापार संगठन

(ख) सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान बनाना (ii) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

(ग) संयुक्त राष्ट्रसंघ के मामलों का समायोजन एवं प्रशासन (iii) विश्व स्वास्थ्य संगठन

(घ) सबके लिए स्वास्थ्य (iv) सचिवालय

(ङ) आपातकाल में आश्रय तथा चिकित्सीय सहायता मुहैया कराना

उत्तर--

(क) वैश्विक वित्त की देखरेख (iv) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

(ख) सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान बनाना। (i) विश्व व्यापार संगठन

(ग) संयुक्त राष्ट्रसंघ के मामलों का समायोजन एवं प्रशासन (iv) सचिवालय

(घ) सबके लिए स्वास्थ्य (iii) विश्व स्वास्थ्य संगठन

(ङ) आपातकाल में आश्रय तथा चिकित्सीय सहायता मुहैया कराना

6. राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? इसके प्रमुख कार्यों एवं सिफारिशों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर- राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन व कार्य-सन् 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने दिसम्बर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। आन्ध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के अन्य हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष प्रारम्भ हो गया। इन संघर्षों के कारण तत्कालीन केन्द्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया।

राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रमुख कार्य राज्यों के सीमांकन के सम्बन्ध में गौर करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए।

राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थीं—

(i) भारत की एकता व सुरक्षा की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। (ii) राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया जाए। (iii) भाषाई और सांस्कृतिक सजातीयता का ध्यान रखा जाए। (iv) वित्तीय तथा प्रशासनिक विषयों की ओर उचित ध्यान दिया जाए।

इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केन्द्र-शासित प्रदेश बनाए गए।

स्वतंत्रता के बाद के प्रारम्भिक वर्षों में एक बड़ी चिन्ता यह थी कि अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता व अखण्डता खतरे में पड़ जाएगी। आशंका यह भी थी कि नए भाषाई राज्यों में अलगाववाद की भावना पनपेगी व नव-निर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा।

परन्तु जनता के दबाव में सरकार ने अंततः भाषा के आधार पर पुनर्गठन का मन बनाया। इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना तथा भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा गया। भाषाई राज्य तथा इन राज्यों के गठन के लिए चले आन्दोलनों ने लोकतांत्रिक राजनीति तथा नेतृत्व की प्रकृति को बुनियादी रूप से बदला है।

भाषाई पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिला। इससे देश की एकता और ज्यादा मजबूत हुई। भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धान्त को स्वीकृति मिली। लोकतंत्र को चुनने का अर्थ था-विभिन्नताओं को पहचानना तथा उन्हें स्वीकार करना। अतः भाषाई आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम साबित हुआ।

7. राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए? आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से मुख्य अन्तर क्या थे?

उत्तर- 15 अगस्त, 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और एक नए राष्ट्र के रूप में भारत विश्व पटल पर उदित हुआ। स्वाधीन भारत का जन्म अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में हुआ। भारत के सामने विभिन्न चुनौतियाँ थीं, इनमें से तीन प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं—

(i) देश की क्षेत्रीय अखंडता को कायम रखने की चुनौती-- स्वतंत्र भारत के सामने सर्वप्रथम व तात्कालिक चुनौती विविधता में एकता लाने के लिए भारत को गढ़ने की थी क्योंकि स्वतंत्रता, भारत विभाजन की शर्त पर प्राप्त हुई थी। तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार यही माना जा रहा था कि इतनी अधिक विविधताओं से भरा कोई देश अधिक दिनों तक एकता के सूत्र में बँधा नहीं रह सकता। इस प्रकार सर्वाधिक बड़ी चुनौती भारत की क्षेत्रीय
अखण्डता को कायम रखना था।

(ii) लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने की चुनौती--- स्वाधीन भारत के समक्ष दूसरी प्रमुख चुनौती लोकतांत्रिक
व्यवस्था कायम करने की थी। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की गारण्टी दी गयी है तथा प्रत्येक नागरिक को

मतदान का अधिकार प्रदान किया गया है। परन्तु केवल इतने से ही कार्य नहीं चलता, चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते
लोकतांत्रिक व्यवहार प्रचलन में लाए जाएँ।

(iii) आर्थिक विकास हेतु नीति निर्धारण करना-- स्वतंत्र भारत के सामने तीसरी बड़ी चुनौती थी कि आर्थिक विकास
हेतु नीति निर्धारित करना। इन नीतियों के आधार पर सम्पूर्ण समाज का विकास होना था, किन्हीं विशेष वर्गों का नहीं। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि समाज में सभी वर्गों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। संविधान में 'नीति-निर्देशक सिद्धान्तों' का प्रावधान किया गया जिनका मुख्य उद्देश्य लोककल्याण व सामाजिक विकास था। अतः देश के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी खत्म करने हेतु कारगर नीतियों के निर्धारण की थी।

इसी व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीयों को अवसर की समानता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गयी। सरकार से यह अपेक्षा की गयी कि वह अपंगों, वृद्धों व बीमार व्यक्तियों की उचित सहायता करें। आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में राष्ट्र-निर्माण की चुनौती के लिहाज़ से निम्नांकित दो मुख्य अंतर थे

(i) आजादी के साथ देश के पूर्वी क्षेत्रों में सांस्कृतिक एवं आर्थिक सन्तुलन की समस्या थी जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में
विकास सम्बन्धी चुनौती थी।

(ii) देश के पूर्वी क्षेत्रों में भाषायी समस्या अधिक थी जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में धार्मिक व जातिवाद की समस्या अधिक थी।

(iii) आजादी के समय देश के पूर्वी पश्चिमी भाग में धार्मिक संरचना सम्बन्धी भिन्नता भी थी।

8. 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है? कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट की शिकार हुई ?

उत्तर- कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में 'सिंडिकेट' का अर्थ-कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को अनौपचारिक तौर पर
'सिंडिकेट' के नाम से पुकारा जाता था। 'सिंडिकेट' कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। 'सिंडिकेट' के नेतृत्वकर्ता मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके के. कामराज थे। लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद इंदिरा गांधी दोनों ही सिंडिकेट की सहायता से प्रधानमंत्री के पद पर आरूढ़ हुए थे। सिंडिकेट ही तत्कालीन समय में काँग्रेस के महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने के कार्य सम्पन्न करती थी।

कांग्रेस पार्टी के सन् 1969 में टूट के कारण--- कांग्रेस पार्टी में सन् 1969 में निम्नलिखित मसलों को लेकर टूट हुई

(i) 1969 में इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन. संजीव रेड्डी को
कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया। ऐसे में इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी. वी. गिरि को बढ़ावा दिया कि वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरें। यह कांग्रेस पार्टी में फूट का प्रमुख कारण था। इस प्रक्रिया के कारण काँग्रेसियों में अलगाववाद का
जन्म हुआ।
(ii) इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा भूतपूर्व राजा-महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार यानी 'प्रिवीपर्स' को समाप्त करने जैसी कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा की। उस समय मोरारजी देसाई देश के उपप्रधानमंत्री तथा वित्तमंत्री थे। उपर्युक्त दोनों मसलों पर प्रधानमंत्री और उनके बीच गहरे मतभेद उभरे तथा
इसके परिणामस्वरूप मोरारजी देसाई ने सरकार से त्यागपत्र दे दिया।
(iii) इंदिरा की सार्वभौमिकतावादी नीति--- इंदिरा गाँधी अहम निर्णयों व फैसलों को अपने प्रभावाधीन रखती थी।
सिंडिकेट के सदस्यों की भूमिका के धीरे-धीरे गौण होते जाने से भी सदस्यों में आपसी मनमुटाव था जो काँग्रेस . की टूट का कारण सिद्ध हुआ।
(iv) पूर्व में भी कांग्रेस के भीतर इस तरह के मतभेद उठ चुके थे, परन्तु इस बार मामला कुछ अलग ही था। दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति के चुनाव में शक्ति को आजमा ही लिया जाए। आखिरकार राष्ट्रपति पद के चुनाव में वी. वी.गिरि ही विजयी हुए। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार से पार्टी का टूटना तय हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस प्रकार कांग्रेस, पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस में विभाजित हो गई। इंदिरा गांधी ने पार्टी की इस टूट को विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पेश किया।

9. 1971 का चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना तथा उसके परिणामों पर टिप्पणी लिखिए।
उत्तर- सन् 1971 के आम चुनाव व देश की राजनीति में कांग्रेस के पुनर्स्थापन से जुड़ी राजनीतिक घटनाओं व परिणामों का विवरण निम्नानुसार है -
(i) सन् 1971 का आम चुनाव--- इंदिरा गांधी ने दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति
से की थी। वह अपनी सरकार के लिए जनता का पुनः आदेश प्राप्त करना चाहती थी। फरवरी 1971 में
पाँचवीं लोकसभा का आम चुनाव हुआ।
(ii) कांग्रेस तथा ग्रैंड अलायंस में मुकाबला--- चुनावी मुकाबला कांग्रेस (आर) के विपरीत जान पड़ रहा था।

आखिर नई कांग्रेस एक जर्जर होती हुई पार्टी का एक भाग मात्र थी। सभी को भरोसा था कि कांग्रेस पार्टी की वास्तविक संघटनात्मक शक्ति कांग्रेस (ओ) के नियंत्रण में है। इसके अलावा, सभी बड़ी गैर-साम्यवादी तथा गैर-कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया था। इसे "ग्रँड अलायंस" कहा गया। इससे इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और कठिन हो गयी। एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी तथा भारतीय क्रांतिदल, चुनाव में एक छतरी के नीचे आ गए।

(ii) दोनों राजनैतिक खेमों में अंतर--- इसके बावजूद नई कांग्रेस के साथ एक ऐसी बात थी, जिसका उनके बड़े
विपक्षियों के पास अभाव था। नयी कांग्रेस के पास एक मुद्दा था। एक एजेंडा तथा कार्यक्रम था। "ग्रैंड अलायंस" के पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। इंदिरा गांधी ने देश भर में घूम-घूम कर कहा था कि विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है, 'इंदिरा हटाओ'।

(iv) चुनाव के परिणाम--- सन् 1971 के लोकसभा चुनावों के परिणाम उतने ही नाटकीय थे, जितना इन चुनावों
को करवाने का फैसला। कांग्रेस (आर) तथा सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिली, उतनी कांग्रेस पिछले चार आम चुनावों में कभी हासिल नहीं कर सकी थी। इस गठबंधन को लोकसभा की 375 सीटें मिली तथा इसने कुल 48.4 प्रतिशत वोट हासिल किए। अकेली इंदिरा गांधी की कांग्रेस (आर) ने 352 सीटें तथा 44 प्रतिशत वोट हासिल किए थे। अब जरा इस तस्वीर की तुलना कांग्रेस (ओ) से करें, इस पार्टी में बड़े-बड़े महारथी थे, परंतु इंदिरा गांधी की पार्टी को जितने वोट मिले थे, उसके एक चौथाई वोट ही इसकी झोली में आए। इस पार्टी को महज 16 सीटें मिली। अपनी भारी जीत के साथ इंदिराजी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने अपने दावे को साबित कर दिया कि वही "वास्तविक कांग्रेस" है तथा उसे भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पुनर्स्थापित किया।

(v) बांग्लादेश का निर्माण तथा भारत--- पाक युद्ध-सन् 1971 के लोकसभा चुनावों के तुरन्त बाद पूर्वी पाकिस्तान
(जो अब बांग्लादेश है।) में एक बड़ा राजनीतिक तथा सैन्य संकट उठ खड़ा हुआ। सन् 1971 के चुनावों के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ तथा भारत-पाक के मध्य युद्ध छिड़ गया।

(vi) राज्यों में कांग्रेस की पुनर्स्थापना--- सन् 1972 के राज्य विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को व्यापक
सफलता मिली। उन्हें गरीबों तथा वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा। पार्टी के अंदर अथवा बाहर उसके विरोध की कोई गुंजाइश नहीं बची। कांग्रेस लोकसभा के चुनावों में जीती थी तथा राज्य स्तर के चुनावों में भी। इन दो लगातार जीतों के साथ कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर कायम रहा। कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी। समाज के विभिन्न वर्गों में यह लोकप्रिय भी थी। महज चार साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व तथा कांग्रेस पार्टी

के प्रभुत्व के सामने खड़ी चुनौतियों को धूल चटा दी थी। जीत के पश्चात् इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जरूर किया, परन्तु कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदलकर।

8. संयुक्त राष्ट्र का विकास क्रम, स्थापना व उद्देश्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए।

उत्तर– संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास क्रम एवं स्थापना

1. राष्ट्र संघ की असफलता- प्रथम विश्व युद्ध ने सम्पूर्ण विश्व को इस बात के लिए सचेत किया कि अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों के समाधान के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण का प्रयास आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्र संघ (लीग ऑफ नेशंस) का जन्म हुआ, लेकिन प्रारम्भिक सफलताओं के बावजूद यह संगठन द्वितीय विश्वयुद्ध को रोकने में सफल नहीं हो पाया।

2. द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के प्रयास-- (i) अटलांटिक चार्टर (अगस्त 1941) द्वितीय विश्वयुद्ध काल के दौरान वैश्विक शान्ति की स्थापना हेतु एक नयी विश्व संस्था की स्थापना की दिशा में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट एवं ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री चर्चिल ने विश्वशान्ति के आधारभूत सिद्धान्तों की व्यवस्था की। इस पर दोनों देशों के नेताओं ने अगस्त 1941 में हस्ताक्षर किये जिसे अटलांटिक चार्टर के नाम से जाना जाता है।

(ii) संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र (जनवरी 1942)-- धुरी शक्तियों के विरुद्ध लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट एवं ब्रितानी प्रधानमन्त्री चर्चिल द्वारा हस्ताक्षरित किए गए। ये नेता अटलांटिक चार्टर के समर्थन में जनवरी 1942 में वाशिंगटन (संयुक्त राज्य-अमेरिका) में मिले और दिसम्बर, 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर किये।

(iii) याल्टा सम्मेलन (फरवरी 1945)-- विश्व के तीन बड़े नेताओं-अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रितानी प्रधानमन्त्री चर्चिल एवं सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन ने फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन, प्रकृति व उसकी सदस्यता पर चर्चा की गयी। इस सम्मेलन में ही प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में विचार करने के लिए एक सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया।

(iv) सेन फ्रांसिस्को सम्मेलन (अप्रैल-मई 1945)- अप्रैल-मई 1945 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के सेन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मुद्दे पर केन्द्रित सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन दो महीने तक चला। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर तैयार किया गया। (v) संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर (जून 1945)-सेन फ्रांसिस्को सम्मेलन के दौरान तैयार किए गए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर 26 जून, 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। पोलैण्ड ने इस चार्टर पर 15 अक्टूबर, 1945 को हस्ताक्षर किए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 मूल संस्थापक सदस्य हैं।

3. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना- 24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गयी। तभी से प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पश्चात् राष्ट्र संघ के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया। भारत

30 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित हो गया। 2011 में इसकी सदस्य संख्या 193 थी। इसका अन्तिम सदस्य-दक्षिणी सूडान है जो 2011 में सदस्य बना था।

संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य-- संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

(i) अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना एवं शान्ति स्थापित करना।

(ii) राष्ट्रों के मध्य सहयोग स्थापित करना।

(iii) समस्त विश्व में सामाजिक-आर्थिक विकास की सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाना।

(iv) किसी कारणवश विभिन्न देशों के मध्यं युद्ध छिड़ने की स्थिति में शत्रुता के दायरे को सीमित करना।

9. स्वतंत्र भारत के समक्ष कौन-कौन-सी प्रमुख चुनौतियाँ थीं? वर्णन कीजिए।

उत्तर-- स्वतंत्र भारत का जन्म अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में हुआ। प्रमुख रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के सामने तीन तरह की चुनौतियाँ थीं। इनका उल्लेख निम्नानुसार है–

(i) देश की क्षेत्रीय अखण्डता को कायम रखने की चुनौती-- आजादी के तुरन्त बाद देश की क्षेत्रीय अखण्डता को कायम रखने की चुनौती सबसे प्रमुख थी। एकता के सूत्र में बँधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की चुनौती थी जिसमें भारतीय समाज की समस्त विविधताओं के लिए जगह हो। भारत अपने आकार व विविधता के कारण एक उपमहाद्वीप है। यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों, वर्गों, भाषाओ बोलियों, संस्कृति को मानने वाले लोग निवास करते हैं। अतः यही माना जा रहा था कि इतनी विभिन्नताओं से भरा कोई देश अधिक दिनों तक एकता कायम नहीं रख सकता। वैसे भी देश को आजादी विभाजन की शर्त पर ही मिल सकी। ऐसे में राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बँधे राष्ट्र की स्थापना व निर्माण करना एक गम्भीर चुनौतीपूर्ण कार्य था। ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप- क्षेत्रीय पहचान के साथ ही देश की एकता व अखण्डता को भी कायम रखना था। उस वक्त आमतौर पर यही माना जाता था की इतनी विभिन्नताओं वाला देश लम्बे समय तक एकता के सूत्र में बँधा नहीं रह पाएगा । देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई यह आशंका एक तरह से सत्य सिद्ध हुई। देश के भविष्य के सम्बन्ध में अनेक गम्भीर प्रश्न सामने खड़े थे, जैसे-क्या भारत एकता के सूत्र में बँधा रह सकेगा? क्या भारत केवल राष्ट्रीय एकता पर ही सर्वाधिक ध्यान देगा या अन्य उद्देश्यों को भी पूर्ण करेगा? इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद तात्कालिक प्रश्न देश की क्षेत्रीय अखण्डता को कायम रखने की चुनौती का था।

(ii) लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना--दूसरी चुनौती लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू रखने की थी। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। भारतीय संविधान भारत की आन्तरिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तियों के पारस्परिक - सम्बन्धों की वैधानिक अभिव्यक्ति है। संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गयी द . है तथा प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार भी दिया गया है। इन विशेषताओं के आधार पर यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था के बीच राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र

को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान आवश्यक होता है परन्तु यह भी काफी नहीं होता। देश के सामने यह चुनौती भी थी कि संविधान पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवहार व व्यवस्थाएँ भी चलन में आएँ ताकि लोकतंत्र कायम रह सके।

(iii) आर्थिक विकास हेतु नीति निर्धारित करना : स्वतंत्रता के तुरन्त बाद तीसरी प्रमुख चुनौती थी- आर्थिक विकास हेतु नीतियों का निर्धारण करना। इन नीतियों के आधार पर - सम्पूर्ण समाज का विकास होना था, किन्हीं विशेष वर्गों का नहीं। संविधान में भी इस बात का स्पष्ट तौर पर उल्लेख था कि समाज में सभी वर्गों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए तथा सामाजिक रूप से वंचित व पिछड़े वर्गों तथा धार्मिक-सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए। संविधान में 'नीति-निदेशक सिद्धान्तों' का भी प्रावधान किया गया है जिनका प्रमुख उद्देश्य लोक-कल्याण व सामाजिक विकास था। सरकार को नीति निर्धारित करते समय इन सिद्धान्तों को अवश्य अपनाना चाहिए। अतः देश के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक विकास करने हेतु कारगर नीतियों के निर्धारण की थी।

इस चुनौती का भी सफलतापूर्वक सामना हमारे नीति-निर्माताओं ने किया। भारतीय म संविधान के द्वारा भारत में एक लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना किए जाने की व्यवस्था की गयी। इसी व्यवस्था के च । अन्तर्गत भारतीयों को अवसर की समानता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गयी। सरकार से यह भी अपेक्षा की गयी कि वह अपंगों, वृद्धों व बीमार व्यक्तियों की उचित सहायता करे।

10. भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के उदय व पतन के लिए उत्तरदायी मुख्य कारकों का परीक्षण कीजिए।

उत्तर--- भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के उदय के लिए उत्तरदायी कारक-- भारत में कांग्रेस पार्टी के उदय के लिए उत्तरदायी कारक निम्नांकित थे–

(i) कांग्रेस का गठन सन् 1885 ई. में हुआ था। इस समय यह केवल नवशिक्षित, कामकाजी तथा व्यापारिक वर्गों का एक हित-समूह थी परन्तु बीसवीं शताब्दी में इसने एक व्यापक जन-आंदोलन का रूप ले लिया। इस कारण से कांग्रेस ने एक जनव्यापी , राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया तथा राजनीतिक व्यवस्था में इसका प्रभुत्व स्थापित हुआ। स्वतंत्रता के समय तक कांग्रेस एक सतरंगे सामाजिक गठबंधन का आकार ग्रहण कर चुकी थी।

(ii) कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी व शांतिवादी, कंजरवेटिव तथा रेडिकल, गरमपंथी व नरमपंथी, दक्षिणपंथी, क्रान्तिकारी वामपंथी तथा हर धारा के मध्यमार्गियों को शामिल किया। कांग्रेस एक मंच के समान थी, जिस पर अनेक हित, समूह तथा राजनीतिक दल तक आ जुटते थे तथा राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे।

(iii) कांग्रेस के गठबंधनी स्वरूप ने उसे एक असाधारण ताकत दी। पहली बात तो यही कि जो भी आए, गठबंधन उसे अपने में शामिल कर लेता है। इस कारण गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाने से

बचना होता है तथा प्रत्येक मामले पर संतुलन रख कर चलना पड़ता है। सुलह-समझौता तथा सर्व समावेशी होना गठबंधनी स्वरूप की विशेषता होती है।

(iv) भारत में अधिक विपक्षी पार्टियों नहीं थीं। कई पार्टियों सन् 1952 के आम चुनावों से कहीं पहले बन चुकी थीं। इनमें से कुछ ने 'साठ व सत्तर के दशक में देश की राजनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन् 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा में नाममात्र का प्रतिनिधित्व मिल पाया।

(v) भारत की चुनाव प्रणाली में 'सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत' के तरीके को अपनाया गया है। ऐसे में यदि कोई पार्टी अन्य की अपेक्षा थोड़े ज्यादा वोट प्राप्त करती है तो दूसरी पार्टियों को प्राप्त वोटों के अनुपात की तुलना में उसे कहीं अधिक सीटें हासिल होती हैं। यही बात कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रही।

(vi) यदि सभी गैर-कांग्रेसी उम्मीदवारों के वोट जोड़ दिए जाएँ तो वह कांग्रेस पार्टी को हासिल कुल वोट से कहीं अधिक होंगे। परन्तु गैर-कांग्रेसी वोट विभिन्न प्रतिस्पर्धी पार्टियों तथा उम्मीदवारों में बँट गए। इस प्रकार कांग्रेस बाकी पार्टियों की तुलना में आगे रही तथा उसने ज्यादा सीटें जीतीं।

कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व में कमी आने के लिए उत्तरदायी कारक-- कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व में कमी आने के लिए उत्तरदायी कारक इस प्रकार हैं--

(i) कांग्रेस प्रणाली को सन् 1960 के दशक में पहली बार विपक्ष से चुनौती मिली। कांग्रेस पार्टी को अपना राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखने में कुछ कारणों से कठिनाई आने लगी। पहले की अपेक्षा अब विपक्ष कम विभाजित था। कांग्रेस पार्टी अपनी अन्दरूनी चुनौतियों को झेल नहीं पा रही थी।

(ii) मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद राजनैतिक उत्तराधिकार की चुनौती उत्पन्न हुई जिसे लालबहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही हल कर लिया गया। शास्त्री जी के निधन के बाद फिर से राजनैतिक उत्तराधिकार का मामला उठा।

(iii) सन् 1967 से देश में राजनीतिक दल बदल व आया-राम, गया-राम की राजनीति प्रारंभ हुई जिसके कारण से भारतीय लोकतंत्र को अस्थायी रूप से गहरा धक्का पहुंचा। कांग्रेस में सिंडिकेट व इंडिकेट या पुरानी कांग्रेस व नयी कांग्रेस के नाम से विभाजन हो गया।

(iv) सन् 1969 में देश के राष्ट्रपति पद के चुनाव में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को वी. वी. गिरी ने इंदिरा गाँधी के खुले समर्थन के कारण पराजित किया।

(v) सन् 1970 के बाद हुए चुनावों में इंदिरा कांग्रेस या नई कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त हुयी तथा उसे ही वास्तविक कांग्रेस कहा गया। संविधान में संशोधन करके देशी राजाओं के प्रिवीपर्स को समाप्त कर दिया गया। इन सभी कारणों के परिणामस्वरूप कांग्रेस के प्रभुत्व में धीरे-धीरे कमी आती गयी।

11. हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और उससे उत्पन्न विपदा को रोकने में नाकामयाब रहा है, लेकिन विभिन्न देश अभी भी इसे बनाए रखना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अपरिहार्य संगठन मानने के क्या कारण हैं?

उत्तर– हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और उससे उत्पन्न विपदा को रोकने में नाकामयाब रहा है परन्तु फिर भी हर देश इसे एक महत्त्वपूर्ण एवं अपरिहार्य संगठन मानता है। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने पूर्ववर्ती संगठन-राष्ट्र संघ की तरह दुसरे विश्वयुद्ध के बाद असफल नहीं रहा। अत: संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाए रखना आवश्यक है। इसके अन्य प्रमुख निम्नलिखित कारण है--

(1) संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व के अन्य देशों के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत करवा सकता है। इसी के माध्यम से छोटे एवं निर्बल देश अमेरिका से किसी भी मसले पर बात कर सकते है ।

(2) सन् 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश सदस्य बन चुके हैं। यह विश्व का सबसे प्रभावशाली मंच है। यहाँ पर अन्तर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा सामाजिक, आर्थिक समस्याओ पर खुले मस्तिष्क से वाद-विवाद और विचार-विमर्श होता है।

(3) संयुक्त राष्ट्र संघ के पास ऐसी कोई शक्ति तो नहीं है कि वह किसी देश को बाध्य करे, परन्तु वह ऐसे देशों की शक्तियों पर अंकुश अवश्य लगा सकता है चाहे वह संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा देश ही क्यों न हो। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्यों (देशों) के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका तक की नीतियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है।

(4) आज कुछ राष्ट्रों के पास परमाणु बम है किन्तु बड़ी शक्तियों के प्रभाव के कारण काफी सीमा तक सर्वाधिक भयंकर हथियारो के निर्माण और रसायन व जैविक हथियारो का प्रयोग और निर्माण को रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ को सफलता मिली है।

(5) संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक से पिछड़े और गरीब राष्ट्रों को ऋण, भुगतान और आपातकाल में अनेक प्रकार की सहायता दिलाने में सक्षम रहा है। इसलिए इसका अस्तित्व में रहना आवश्यक है।

(6) आज प्रत्येक देश पारस्परिक निर्भरता को समझने लगा है और पारस्परिक निर्भरता बढ़ रही है। इसके पीछे भी संयुक्त राष्ट्र संघ है। यह एक ऐसा मंच है जिस पर विश्व के अधिकांश देश उपलब्ध रहते हैं। कोई भी देश पूर्ण नहीं होता उसे सदैव दूसरे देश के सहयोग की आवश्यकता होती है फिर चाहे वह अमेरिका हो या इंग्लैण्ड।

उपरोक्त कारणों से स्पष्ट होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उपयोग और अधिक मानव मूल्यों, विश्व-बन्धुत्व एवं पारस्परिक सहयोग की भावना से किया जाना चाहिए। इसका अस्तित्व आज अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सहयोग के लिए परम आवश्यक है।

12. भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में आयी कठिनाइयों व उसके भारत के लिए लोकतांत्रिक कदम साबित होने का वर्णन कीजिए।

उत्तर– स्वतंत्रता के पश्चात् विभिन्न राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। बँटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। भारतीय प्रान्तों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी सामने थी। विभिन्न राज्यों से भाषाई भेदभाव की

शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इस प्रकार की शिकायतें बम्बई तथा असम में अधिक थीं। यहाँ के अल्पसंख्यक लोगों को यह भय था कि बहमत वाले लोग अन्य भाषाओं को विकसित नहीं होने देंगे, इसलिए ये लोग भाषायी आधार पर अलग राज्य की माँग करने लगे। यह केवल एक प्रशासनिक विभाजन का मामला नहीं था। प्रान्तों की सीमाओं को इस प्रकार तय करने की चुनौती सामने थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी छिन-भिन्न न हो।

औपनिवेशिक शासन के समय प्रान्तों की यारों सीमाएँ प्रशासनिक सविधा के लिहाज से तय न्यारों की गयी थीं या ब्रिटिश सरकार ने जितने युक्त क्षेत्र को जीत लिया हो उतना क्षेत्र एक अलग प्रान्त मान लिया जाता था। प्रान्तों की सीमा इस बात से भी निश्चित होती थी कि किसी को रजवाड़े के अन्तर्गत कितना क्षेत्र सम्मिलित कार है। साथ ही हमारे नेताओं को यह चिन्ता थी कि यदि भाषा के आधार पर प्रान्त बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है और को देश के टूटने का खतरा उत्पन्न हो सकता है।

राज्यों के गठन का लोकतांत्रिक कदम सिद्ध होना-- भारत के लोकतांत्रिक देश होने का अर्थ है- विभिन्नताओं को पहचानना व उन्हें स्वीकार करना। इसके साथ ही यह मानकर चलना कि विभिन्नताओं में परस्पर विरोध भी हो सकते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो, भारत में लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन पद्धति की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई है। सन् 1952 से लेकर सन् 2014 तक लगातार कई राज्यों के पुनर्गठन हुए हैं और पुनर्गठित राज्यों में पहले की अपेक्षा अधिक आन्तरिक शान्ति का माहौल देखा जा सकता है। पुनर्गठित राज्यों के आर्थिक विकास का संदर्भ भी लिया जा सकता है। इसी प्रकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सीधा सम्बन्ध क्षेत्र विशेष के लोगों की विचारधारा और जीवन शैली से है। क्षेत्रीय मांगों को मानना तथा भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा गया। भाषाई राज्य तथा इन राज्यों के गठन के लिए चले आन्दोलनों ने लोकतांत्रिक राजनीति तथा नेतृत्व की प्रकृति को बुनियादी रूपों में बदला है। भाषाई पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिला। इससे देश की एकता और अधिक मजबूत हुई। भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता में एकता के सिद्धान्त को स्वीकृति मिली। लोकतंत्र को चुनने का अर्थ था विभिन्नताओं को पहचानना तथा उन्हें स्वीकार करना। अतः भाषाई आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम साबित हुआ।

13. भारत में 1967 के वर्ष को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव क्यों माना जाता है?

उत्तर–(i) प्रस्तावना- भारत के राजनैतिक तथा चुनावी इतिहास में सन् 1967 के वर्ष को अत्यधिक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। सन् 1952 के प्रथम चुनाव से लेकर सन् 1966 तक कांग्रेस पार्टी का संपूर्ण देश के अधिकांश राज्यों तथा केन्द्र में राजनैतिक वर्चस्व कायम रहा। परन्तु सन् 1967 के आम चुनाव में इस प्रवृत्ति में गहरा परिवर्तन आया।

(ii) सन् 1967 के आम चुनाव तथा देश के समक्ष आर्थिक समस्याएँ और चुनौतियाँ-- चौथे आम चुनावों के आने तक देश में बड़े परिवर्तन हो चुके थे। दो प्रधानमन्त्रियों का जल्दी-जल्दी देहांत हुआ तथा इंदिरा गांधी को नए प्रधानमंत्री का पद संभाले हुए अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ था। साथ ही इस प्रधानमंत्री को राजनीति के दृष्टिकोण से कम अनुभवी माना जा रहा था।

सन् 1967 के चुनाव से पहले ही कई वर्षों से देश गंभीर आर्थिक संकट में था। मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट, व्यापक खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, औद्योगिक उत्पादन तथा निर्यात में गिरावट के साथ ही साथ सैन्य खर्चों में भारी बढ़ोत्तरी हुई थी। नियोजन तथा आर्थिक विकास के संसाधनों को सैन्य-मद में लगाना पड़ा। इन सभी बातों से देश की आर्थिक स्थिति जर्जर हो गयी थी।

देश में अक्सर 'बंद' तथा 'हड़ताल' की स्थिति रहने लगी। सरकार ने इसे कानून तथा व्यवस्था की समस्या माना न कि जनता की बदहाली की अभिव्यक्ति। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ गई तथा जन विरोध ने ज्यादा उग्र रूप धारण किया।

(iii) वामपंथियों द्वारा व्यापक संघर्ष छेड़ना-- साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए साम्यवादियों के एक समूह ने मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनायी तथा सशक्त कृषक-विद्रोह का नेतृत्व किया। साथ ही, इस पार्टी ने किसानों के बीच विरोध को संगठित किया। इस अवधि में गंभीर किस्म के हिन्दू-मुस्लिम दंगे भी हुए। आजादी के बाद से अब तक इतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे।

(iv) चुनावों का जनादेश-- व्यापक जन असंतोष तथा राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के इसी माहौल में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के लिए सन् 1967 के फरवरी माह में चौथे आम चुनाव हुए। कांग्रेस पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी।

चुनाव के परिणामों से कांग्रेस को राष्ट्रीय तथा प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा । तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणामों को 'राजनीतिक भूकंप' की संज्ञा दी। कांग्रेस को जैसे-तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया था, परन्तु उसको प्राप्त मतों के प्रतिशत तथा सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। अब से पहले कांग्रेस को कभी न तो इतने कम वोट मिले थे और न ही इतनी कम सीटें मिली थी । राजनीतिक बदलाव की यह नाटकीय स्थिति राज्यों में और भी अधिक स्पष्ट नजर आई । कांग्रेस को सात राज्यों में बहुमत नहीं मिला । दो अन्य राज्यों में दलबदल के कारण यह पार्टी सरकार नहीं बना सकी। जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी वह देश के किसी एक भाग में कायम राज्य नहीं थे। वह राज्य पूरे देश के अलग-अलग ट्रीय हिस्सों में थे। कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास तथा केरल में सरकार नहीं बना सकी।

मद्रास प्रांत (अब इसे तमिलनाडु कहा जाता को है) में एक क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में सफल रही। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) हिंदी विरोधी आंदोलन का

नेतृत्व करके सत्ता में आई थी। यहाँ के छात्र हिन्दी को राजभाषा यति के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का गई। विरोध कर रहे थे तथा डीएमके ने उनके ला। इस विरोध को नेतृत्व प्रदान किया था।

14. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर— अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष- यह एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है। जो अपने सदस्य राष्ट्रों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर दृष्टि रखने का कार्य करता है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। यह संगठन अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ-साथ विकास को सुगम करने में सहायता करता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डी. सी. में है।

शीतयुद्ध के पश्चात् विश्व की अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में कुछ संगठनों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, जिनमें एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रमुख है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटनवुड्स समझौते के तहत सन् 1945 में हुई थी। इसका पूरा नाम अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. (संयुक्त राज्य अमेरिका) में है। यह संगठन वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है तथा माँगे जाने पर वित्तीय एवं तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराता है। वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था का आशय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली वित्तीय संस्थाओं व लागू होने वाले नियमों से है। 2016 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 189 देश सदस्य थे। लेकिन इसके प्रत्येक सदस्य देश की राय का समान मत नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा, चीन, भारत व रूस (10 देश) के पास इसके लगभग 55 प्रतिशत मत हैं। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 16.52 प्रतिशत मत हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व वित्त के लिए कुछ देशों की मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है जिसे एस. डी. आर. कहते हैं। एस. डी आर. में यूरो पाउंड येन व डॉलर शामिल है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करना, रोजगार को बढ़ावा देना और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता के लिए कोई भी देश आवेदन कर सकता है । इसके लिए सर्वप्रथम इस आवेदन को आई. एम.एफ. (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, के कार्यपालक बोर्ड के पास विचाराधीन भेजा जाता है। इसके बाद कार्यकारी बोर्ड, बोर्ड ऑफ गर्वनेंस को उसकी संस्तुति के लिए भेजता है जहाँ प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर सम्बन्धित राष्ट्र को सदस्यता मिल जाती है । सदस्य देशों की संख्या बढ़ने के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य काफी बढ़ गया है।

15. भारत विभाजन में आयी कठिनाइयों की विवेचना कीजिए।

उत्तर— **भारत विभाजन में आयी कठिनाइयाँ--**

भारत विभाजन में निम्नलिखित कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा–

(i) भारत-पाकिस्तान में विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यक को बनाया जाना तय हुआ अर्थात् जिन क्षेत्रों में मुसलमान बहुसंख्यक थे, वे क्षेत्र पाकिस्तान के भू-भाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलायेंगे। इसमें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा । ब्रिटिश भारत में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हों। ऐसे दो क्षेत्र थे जहाँ मुसलमानों की आबादी अधिक थी । एक क्षेत्र पश्चिम में व दूसरा पूर्व में। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों क्षेत्रों को जोड़कर एक स्थान पर कर दिया जाए। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो क्षेत्र सम्मिलित होंगे अर्थात् पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान तथा इसके बीच में भारतीय भूमि का विस्तार रहेगा।

(ii) मुस्लिम बहुल प्रत्येक क्षेत्र पाकिस्तान में मिलने को सहमत नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त के निर्विवाद नेता थे। उन्होंने द्वि-राष्ट्रीय सिद्धान्त का विरोध किया लेकिन उनके विरोध को अनदेखा कर पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त को पाकिस्तान में सम्मिलित कर लिया गया।

(iii) ब्रिटिश भारत के मुस्लिम बहुल प्रान्त पंजाब व बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम जनसंख्या वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि दोनों प्रान्तों में भी बँटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा और इसमें जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था। फलस्वरूप अनेक लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत में या पाकिस्तान में।

(iv) भारत-पाकिस्तान सीमा के दोनों ओर अल्पसंख्यक थे। जो क्षेत्र पाकिस्तान में थे वहाँ लाखों की संख्या में हिन्दू-सिख आबादी का थी। ठीक उसी प्रकार पंजाब व बंगाल के भारतीय भू-भाग में लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। इन लोगों ने पाया कि वे तो अपने ही घर में विदेशी बन गये हैं। लोगों को देश के बंटवारे की जानकारी मिलते ही दोनों ओर अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। हिंसा की घटनाएं बढ़ गई। दोनों ओर के अल्पसंख्यकों के पास एक ही रास्ता बचा था कि वे अपने-अपने घर-बार छोड़ दे ।

16. निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए

(i) इंदिरा बनाम सिंडिकेट (ii) दल-बदल (iii) प्रिवीपर्स

उत्तर—**(1) इंदिरा गांधी बनाम सिंडिकेट-** 1960 के दशक में कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को अनौपचारिक तौर पर 'सिंडिकेट' के नाम से पुकारा जाता था। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। इंदिरा गांधी इसी सिंडिकेट की सहायता से प्रधानमंत्री बनी थीं। सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गाँधी उनकी सलाहों का अनुसरण करेंगी। प्रारम्भ में इंदिरा गाँधी ने सिंडिकेट को महत्व प्रदान किया। लेकिन शीघ्र ही इंदिरा गाँधी ने सरकार और पार्टी के भीतर स्वयं को स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्तों के समूह में पार्टी से बाहर के लोगों को

रखा। धीरे-धीरे और बड़ी सावधानी से इंदिरा गाँधी ने सिंडिकेट को किनारे पर ला खड़ा किया। सिंडिकेट 1971 के बाद प्रभावहीन हो गयी।

(ii) प्रिवीपर्स का अर्थ- देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पूर्व सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की ओर से उन्हें कुछ भत्ते भी दिए जाएंगे। ये दोनों (शासक की निजी संपदा और भत्ते) इस बात को आधार मानकर तय की जाएँगी कि जिस राज्य का विलय किया जाना है उसका विस्तार तथा राजस्व क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को 'प्रिवीपर्स' कहा गया। ये वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में वर्णित समानता तथा सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धान्तों से मेल नहीं खाते थे। नेहरू ने कई बार इस व्यवस्था को लेकर असंतोष जताया था।

प्रिवीपों की समाप्ति के विभिन्न प्रयास-- सन् 1967 के आम चुनावों के बाद इंदिरा गांधी ने 'प्रिवीपर्स' को खत्म करने की माँग का समर्थन किया। उनकी राय थी कि सरकार को 'प्रिवीपर्स' की व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। मोरारजी देसाई प्रिवीपर्स की समाप्ति को नैतिक रूप से गलत मानते थे। प्रिवीपर्स की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सरकार ने सन् 1970 में संविधान संशोधन के प्रयास किए, परन्तु राज्यसभा में यह मंजूरी नहीं पा सका। इसके बाद सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, परन्तु इसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। इंदिरा गांधी ने इसे सन् 1971 के चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनाया तथा इस मुद्दे पर उन्हें पर्याप्त जन-समर्थन भी प्राप्त हुआ। सन् 1971 में मिली भारी विजय के पश्चात् संविधान संशोधन हुआ तथा इस प्रकार प्रिवीपर्स की समाप्ति के मार्ग में मौजूद कानूनी अड़चनें समाप्त हो गई।

17. संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए किये गये प्रयासों व अपने सुझावों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-- संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए किये गये प्रयास–

सन् 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ की 71वी वर्षगाँठ पर इसको अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं–

(i) शान्ति संस्थापक आयोग के गठन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों ने सहमति व्यक्त की।

(ii) यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल रहता है तो विश्व समुदाय उसका उत्तरदायित्व ग्रहन करेगा।

(ii) संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों ने सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स) को प्राप्त करने पर सहमति प्रदान की।

(iv) मानवाधिकार सम्बन्धी दशाओं में और सुधार करने पर बल दिया गया।

(v) सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा प्रत्येक प्रकार के आतंकवाद की निन्दा की एवं इसकी समाप्ति हेतु कठोर कदम उठाये जाने पर बल दिया ।

(vi) एक लोकतन्त्र कोष का गठन करने का भी निर्णय किया गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ को सशक्त बनाने आवश्यक सुझाव---

बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र को अधि प्रासंगिक तथा सशक्त बनाने हेतु उसमें सुध की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र को सश बनाने के लिए निम्न सुधारात्मक कदम उ जाने जरूरी हैं (1) विश्व के जो देश अभी तक संयुक्त र के सदस्य नहीं हैं, उन्हें सदस्यता हेतु सहर किया जाना चाहिए।
(2)समस्त सदस्यों को एक मत देने के शक्ति होनी चाहिए तथा वह व्यक्तिगत रु से गुप्त मतदान के रूप में प्रयुक्त किया जा चाहिए। सभी निर्णय अर्थात् फैसले महास द्वारा बहुमत के आधार पर लिए जाने चाहिए
(3)सुरक्षा परिषद् में पाँच के स्थान पर पन स्थायी सदस्य हों तथा वीटो का अधिक समाप्त कर दिया जाए।
(4) परिवर्तित विश्व में भारत, जापान, जर्मनी, कनाडा, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका को स्थायी सदस्यता प्रदान की जानी चाहिए।
(5) पर्यावरण, जनसंख्या तथा आतंकवाद जैसी समस्याओं और परमाणु हथियारों को नष्ट करने में भी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों को पूर्ण सहयोग करना चाहिए।
(6) सुरक्षा परिषद् में अस्थायी सदस्यों की को संख्या में भी वृद्धि की जानी चाहिए।
(7) संयुक्त राष्ट्र संघ के कोष में अभिवृद्धि की जानी चाहिए जिससे वह विकास एवं वृद्धि के और अधिकाधिक कार्यक्रमों को ष्ट्रों संचालित कर सके।

18. भारत को एक राष्ट्र मानने की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर-- सामान्यतः राष्ट्र स्थायी नागरिकों, स्थायी सीमाओं में सीमित भू-भाग और बहुसंख्यक लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त भौगोलिक क्षेत्र और होता है। उपर्युक्त तत्वों के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि वहाँ के नागरिक एक सर्वमान्य विश्वास रखें कि यह उन सभी का राष्ट्र है। सामान्य विश्वास के साथ-साथ इतिहास राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों, प्रान्तों वाले का लोगों को परस्पर जोड़ता है। उनकी राजनीतिक आकांक्षाएँ स्वतंत्रता, समानता, कानून व्यवस्था में विश्वास रखने वाली हों तथा जो जनता की भलाई विशेषतः कमजोर, पिछड़े और दीन-दुःखियों के लिए कार्य करे। इसी प्रकार की कल्पनाएँ लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करती हैं। ऐसी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत एक राष्ट्र है—
(i) भारत सीमाओं की दृष्टि से कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से लेकर असम तक एक स्वतंत्र भौगोलिक इकाई से की घिरा है। भारत जैसे विशाल देश में विभिन्न रूप जन समुदाय निवास करते हैं जो कि प्राचीन ना काल से ही इस देश में अपने पूर्वजों के सर्वमान्य विश्वासों, परम्पराओं में थोड़ा-बहुत परिवर्तन करते रहते हैं। इसके साथ ही भारत रह में भौगोलिक, जातीय, भाषाई तथा धार्मिक पर भिन्नताएँ पाई जाती हैं, जैसे-यदि देश का कोई भाग उपजाऊ है, तो कोई पथरीला और पहाड़ी भाग भी है।

(ii) भारत की सांस्कृतिक विरासत व इतिहास भारत को एक राष्ट्र बनाते हैं। यह विभिन्नताओं में एकता लिए हुए है। विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक विभिन्नता से परिपूर्ण राष्ट्र को रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 'महामानव समुद्र' कहा है। भारतीय संस्कृति की अपनी एक अलग पहचान है इसी कारण भारत को 'विश्व गुरु' कहा जाता है। साम्प्रदायिक सद्भावना, सहनशीलता, त्याग, परोपकार, पारस्परिक प्रेम, वैवाहिक बंधन, रीति-रिवाज, ग्रामीण जीवन का आकर्षक वातावरण, भारत की एकता व अखण्डता को अक्षुण्ण रखने में सहायक रहे हैं।

(iii) भारत का अपना राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक इतिहास रहा है। इस इतिहास का अध्ययन सभी करते हैं तथा इस ऐतिहासिक विरासत को अगली पीढ़ियों तक स्थानान्तरित करने का कार्य व प्रयास समय-समय पर विभिन्न समाज-सुधारकों, धर्म-प्रवर्तकों, भक्तों तथा सूफी-संतों ने किया है। उन्होंने समाज में व देश में एकता को सुदृढ़ करने तथा विकास करने हेतु रूढ़ियों व अंधविश्वासों का पुरजोर विरोध किया है। (iv) स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया। इसके अन्तर्गत एक संविधान, इकहरी नागरिकता, इकहरी न्यायप्रणाली, सम्प्रभुता, लोकतांत्रिक गणराज्य, संसदीय शासन प्रणाली, सरकार का संघीय ढाँचा, सत्ता सम्बन्धी विषयों का तीन सूचियों में विभाजन, धर्म निरपेक्षता, समाजवादी व लोक कल्याणकारी राज्य, मौलिक अधिकारों व मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था लागू की गयी है, जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगों की राजनैतिक आकांक्षाओं, कल्पनाओं तथा सर्वमान्य सुदृढ़ विश्वासों को ठोस धरातल प्रदान करना है। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारे संविधान में हिन्दी को देवनागरी लिपि में भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है।

(v) भारत की राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करने के लिए साहित्यकार, लेखक, फिल्म निर्माता-निर्देशक, जनसंचार माध्यम, इलैक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया भी भारत को एक राष्ट्र बनाने में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। देश में फैलता हुआ सड़कों, रेलों, वायुयानों, जलयानों जैसे यातायात के साधनों का जाल तथा इसके साथ-साथ उन्नत संचार व्यवस्था सुसंगठित व सुदृढ़ आधार प्रदान कर रहे हैं।

19. लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात इंदिरा गाँधी के प्रधानमंत्री बनने की सहायक परिस्थितियों व इंदिरा
गाँधी की लोकप्रियता के कारणों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर— लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात्, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सहायक परिस्थितियाँ--10 जनवरी 1966 को ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री का अकस्मात देहांत हो गया। शास्त्री जी की मृत्यु के पश्चात् कांग्रेस के समक्ष एक बार फिर राजनीतिक उत्तराधिकारी का सवाल खड़ा हो गया। उत्तराधिकारी के सवाल पर मोरारजी देसाई तथा इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला था। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का फैसला किया। कांग्रेस के सांसदों द्वारा गुप्त मतदान किया गया। इंदिरा गांधी को दो-तिहाई से अधिक सांसदों ने अपना मत

दिया। यह भी अनुमान किया जाता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी का यह सोचकर समर्थन किया होगा कि उन्हें राजनीतिक तथा प्रशासनिक विषयों का कोई विशेष अनुभव नहीं था जिसके कारण दिशा-निर्देशन तथा राजनैतिक समर्थन के लिए इंदिरा गाँधी उन वरिष्ठ नेताओं पर निर्भर रहेंगी।

इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में लोकप्रियता प्रदान करने वाली चार उपलब्धियाँ—

(i) इंदिरा गांधी ने बड़ी साहसिक रणनीति अपनायी। उन्होंने एक साधारण से सत्ता-संघर्ष को विचारात्मक संघर्ष में बदल दिया। उन्होंने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए कई कदम उठाए। 1967 की मई में कांग्रेस कार्यसमिति ने उनके प्रभाव से दस-सूत्री कार्यक्रम अपनाया। इस कार्यक्रम में बैंकों का सामाजिक नियंत्रण, आम बैंकों के राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसीमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार तथा ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखण्ड देने के प्रावधान शामिल थे। हालाँकि सिंडिकेट के नेताओं ने औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृत दे दी, लेकिन इसे लेकर उसके मन में गहरे संदेह थे।

(ii) इंदिरा गाँधी ने चौदह अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा-महाराजओ को प्राप्त विशेषाधिकार यानी 'प्रिवीपर्स' को समाप्त करने जैसी कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा भी की।

(iii) सिंडिकेट और इंदिरा गाँधी के बीच की गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर सामने आ गई। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली था। इंदिरा गाँधी की असहमति के बावजूद उस साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन. संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सफलता पाई। जबकि इंदिरा गाँधी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी. वी. गिरि को बढ़ावा दिया। आखिरकार राष्ट्रपति पद के चुनाव में वी.वी. गिरि ही विजयी हुए। वे स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जबकि एन. संजीव रेड्डी कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे।

(iv) कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार से पार्टी का टूटना तय हो गया। की कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासित लीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है।

20.निम्न पर टिप्पणी लिखिए (i) अन्तर्राष्ट्रीय आण्विक ऊर्जा एजेंसी (ii) ह्यूमन राइट्स वाच

उत्तर–(i) अन्तर्राष्ट्रीय आण्विक ऊर्जा एजेंसी--

सन् 1954 में अमेरिकी प्रस्ताव को मंजूरी प्राप्त हुयी तथा 1956 में आण्विक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (न्यूयार्क) में 70 देशों की सरकारों द्वारा आई.ए.ई.ए. (अन्तर्राष्ट्रीय आण्विक ऊर्जा एजेंसी) के विधान पर हस्ताक्षर किये गए। 27 जुलाई 1957 में यह अभिकरण प्रभावी हो गया। सन् 2013 के अंत तक इस अभिकरण के सदस्यों की संख्या 162 पर

पहुँच चुकी थी। इसका मुख्यालय विएना में है। यह संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण न होकर संयुक्त राष्ट्र के तहत एक स्वायत्त अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है।

अन्तर्राष्ट्रीय आण्विक ऊर्जा एजेंसी का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व में शांति, स्वास्थ्य व समृद्धि के लिए आण्विक ऊर्जा के योगदान को विस्तारित एवं प्रोत्साहित करर्ना है। यह संगठन यह भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार की सहायता का उपयोग कर किसी प्रकार के सैन्य उद्देश्य की पूर्ति न हो।

अन्तर्राष्ट्रीय आण्विक ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख क्षेत्र---

(i) स्वास्थ्य व सुरक्षा मानदंडों की स्थापना।

(ii) सुरक्षित कार्यक्रम ताकि आणविक खनिजों का सैनिक उपयोग न हो।

(iii) तकनीकी सहायता प्रदान करना।

(iv) नाभिकीय अनुसंधान एवं विकास में सहायता करना।

(ii) ह्यूमन राइट्स वाच-- यह मानवाधिकारों की वकालत और उनसे सम्बन्धित अनुसंधान करने वाला एक अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। यह समस्त विश्व की मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। इस मानवाधिकार संगठन की स्थापना वर्ष 1978 में की गयी थी। यह एक गैर लाभकारी, गैर-सरकारी संगठन है। इसका कार्यालय एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयार्क में है। इसका विशिष्ट ध्येय ह्यूमन राइट है तथा लक्ष्य एक न्याय की आवाज बनाना है। इस संगठन के द्वारा पूरी दुनिया में 90 से अधिक देशों में मानवाधिकारों की रक्षा व संवर्धन के लिए कार्य किया जाता है।

21. निम्न पर टिप्पणी लिखिए--

(i) मणिपुर का भारत संघ में विलय (ii) पोट्टी श्री रामुलु का आन्ध्रप्रदेश के निर्माण में योगदान

उत्तर–**(i) भारत में मणिपुर का विलय—** मणिपुर रियासत का भारत संघ में विलय का वर्णन निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर किया जा सकता है—

(i) भारत सरकार और मणिपुर के महाराजा में समझौता : स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय पूर्व मणिपुर के महाराजा बोधचन्द्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के सम्बन्ध में एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके फलस्वरूप उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आन्तरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी।

(ii) चुनाव कार्य : जनमत के दबाव में महाराजा ने जून 1948 में चुनाव सम्पन्न करवाया और मणिपुर रियासत में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। मणिपुर भारत का पहला राज्य है जहाँ सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के सिद्धान्त को अपनाकर चुनाव हुए।

(iii) राजनैतिक दलों में मतभेद : मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय पर गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में सम्मिलित कर दिया जाए जबकि अन्य राजनीतिक पार्टियाँ इसके विरुद्ध थीं।

(iv) अन्तिम समझौता व विलय : मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बिना भारत सरकार ने महाराजा पर दबाब डाला कि वे भारतीय संघ में सम्मिलित होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। भारत सरकार को इसमें सफलता भी प्राप्त हुई । मणिपुर में इस कदम को लेकर जनता में क्रोध और नाराजगी के भाव पैदा हुए। इसका प्रभाव अभी भी देखा जा सकता है।

(ii) पोट्टी श्रीरामुलु का आन्ध्रप्रदेश निर्माण में योगदान-- पुराने मद्रास प्रान्त के अन्तर्गत आज के तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश भी सम्मिलित थे। इसके कुछ भाग वर्तमान केरल व कर्नाटक में भी हैं। इस समय विशाल आन्ध्र आन्दोलन ने माँग की कि मद्रास प्रान्त के तेलुगुभाषी क्षेत्रों को अलग करके एक नया राज्य आन्ध्र प्रदेश बनाया जाये। तेलुगुभाषी क्षेत्र की लगभग सभी राजनीतिक शक्तिया मद्रास प्रान्त के पुनर्गठन के पक्ष में थीं। इसी समय कांग्रेस के नेता व प्रसिद्ध गाँधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी भाग लिया था। दलित वर्ग के लोगों का उन्हें व्यापक समर्थन प्राप्त था। नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में सन् 1920 में श्रीरामुलु भी उपस्थित थे। इसमें कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन करने का वचन दिया था। श्रीरामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गयी इससे मद्रास प्रांत में बहुत अव्यवस्था फैली, स्थान-स्थान पर हिंसक घटनाएँ होने लगीं। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से त्यागपत्र दे दिया। अंततः दिसम्बर 1952 में प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने आन्ध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की।

22. सन् 1971 के आम चुनाव व देश की राजनीतिक में कांग्रेस के पुनर्स्थापन से जुड़ी राजनीतिक घटनाओं व परिणामों का विवेचन कीजिए।

उत्तर–1971 में पाँचवीं लोकसभा चुनाव कई पहलुओं से ऐतिहासिक माना जाता है इसी चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी को अपनी लोकप्रियता को एक बार फिर से प्राप्त करनी थी तो कांग्रेस पार्टी की नीतियों के प्रति जनमत भी स्थापित करना था। 1971 के चुनाव में यह दोनों उद्देश्य सफल होते दिखाई देते हैं। लोकसभा की 518 सीटों में से 352 सीटें प्राप्त करके श्रीमती गाँधी लोगों के अभूतपूर्व समर्थन को प्रदर्शित किया। 1971 के चुनावों में बहुत बड़ी संख्या में सीट जिता कर लोगों ने श्रीमती गांधी को राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर दिया था। यह विजय श्रीमती गांधी की क्रांतिकारी विजय मानी जाती है। लोगों के बीच इंदिरा गांधी 'गरीबी हटाओ' का नारा लेकर गयी थी जबकि उनके 'इंदिरा हटाओ' का नारा लेकर लोगों का समर्थन चाहते थे। चुनाव अभियानों से ज्ञात होता है कि आम जनता ने 'गरीबी हटाओ' के नारे को अधिक पसंद किया तथा श्रीमती गांधी को पूर्ण बहुमत प्रदान किया।

1972 के विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व स्थापित हुआ। कई राज्यों में इंदिरा गांधी की पार्टी ही सरकार बनाने में सफल हुई। स्पष्ट है कि 1971 के चुनाव में इंदिरा के नेतृत्व में नयी

कांग्रेस ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तकनीकि अर्थों में पुरानी कांग्रेस का प्रभुत्व पुनर्स्थापित नहीं हुआ था। इस बात के पक्ष में तीन तर्क सामने आते हैं--

(1) इंदिरा गांधी नेतृत्व में नई कांग्रेस अस्तित्व 6 में आयी थी। पुरानी कांग्रेस 'सिंडीकेट' के । पास रही जो चुनाव हार चुकी थी।

(2) इंदिरा के नेतृत्व वाली नयी कांग्रेस कई आयामों में पुरानी कांग्रेस से अलग थी। नई कांग्रेस अपने नेता की लोकप्रियता पर निर्भर थी। पार्टी का पुरानी कांग्रेस की तरह मतबूत ढाँचा भी नहीं था।

(3) नयी कांग्रेस अपने आप को नये सिरे से प्रासंगिक और प्रभावी बनाने का प्रयास कर रही थी।

सन् 1971 के चुनावों के परिणामस्वरूप बदली हुई कांग्रेस व्यवस्था की प्रकृति को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत स्पष्ट किया जा सकता है।

(i) सन् 1971 के चुनाव के पश्चात् इंदिरा गाँधी ने कांग्रेस को अपने सर्वोच्च नेता पर निर्भर रहने वाली पार्टी बना दिया। यहाँ से उनके आदेश सर्वोपरि बनने प्रारम्भ हुए। सिंडिकेट जैसे अनौपचारिक प्रभावशाली नेताओं का समूह राजनीतिक मंच से हट गया।

(ii) सन् 1971 के पश्चात् कांग्रेस का संगठन भिन्न-भिन्न विचारधाराओं वाले समूहों के समावेशी किस्म का नहीं रहा। अब यह अनन्य एकाधिकारिता वाला बन गया था।

(iii) इंदिरा की कांग्रेस को गरीबों, महिलाओं, दलित समूहों, जनजाति समूहों के लोगों ने जिताया था। यह धनी उद्योगपतियों, सौदागरों तथा राजनीतिज्ञों के समूह अथवा सिंडिकेट के हाथों की कठपुतली अब नहीं रही। वस्तुतः यह पहले की कांग्रेस पार्टी का पूर्णरूप से बदला हुआ स्वरूप था।

23. विश्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर– **विश्व बैंक के कार्य--** विश्व बैंक एक अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्था है। इसके प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं–

(i) सदस्य राष्ट्रों के निर्माण व आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करना–विश्व बैंक के द्वारा अपने सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने और विध्वंसित अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण का कार्य मुख्य रूप से किया जाता है। इसके साथ ही यह विकसित सदस्य राष्ट्रों को पर्याप्त मात्रा में मौद्रिक व औद्योगिक सहायता प्रदान करके उन्हें आर्थिक विकास की मजबूती प्रदान करने का कार्य किया जाता है।

(ii) युद्धकालीन अर्थव्यवस्था का शांतिकालीन अर्थव्यवस्था में बदलाव-- विश्व बैंक की स्थापना द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्ति के बाद देशों की युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए की गयी थी। विश्व बैंक ने इस स्थिति में अस्थिर अर्थव्यवस्था वाले देशो को स्थिर अर्थव्यवस्था वाले देशों के रूप में बदलने का कार्य किया था।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा-- विश्व बैंक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। विश्व बैंक पिछड़े देशों के उत्पादन

साधनों को बढाकर उनका व्यापारिक संतुलन ठीक करता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन को बढ़ाव देता है ।

(iv) विदेशी पूँजी विनियोग को बढ़ाना-- विश्व बैंक के द्वारा निवेशकों को अन्य देशों में अपनी पूँजी विनियोग करने के लिये प्रोत्साहन देने का कार्य करता है। विश्व बैंक के द्वारा उनकी पूँजी की गारंटी दी जाती है। यदि पर्याप्त मात्रा में पूँजी विनियोग की व्यवस्था नहीं होती तो विश्व बैंक अपने साधनों से सदस्य देशों को विकास ऋण प्रदान करने का कार्य भी करता है।

(v) विश्व बैंक मानवीय विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य), कृषि एवं ग्रामीण विकास (सिंचाई, ग्रामीण सेवाएँ), आधारभूत ढाँचा (सड़क, विद्युत, शहरी विकास), पर्यावरण सुरक्षा (प्रदूषण में कमी, नियमों का निर्माण व उन्हें लागू करना) एवं सुशासन (कदाचार का विरोध, विधिक संस्थाओं का विकास) के लिए कार्य करता है।

24. भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अलगाववाद की भाषा को उत्पन्न करने स्थान पर मजबूती प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुआ तथा यह एक लोकतांत्रिक कदम सिद्ध हुआ है। कैसे?

उत्तर– आजादी के बाद के शुरूआती सालों में एक बड़ी चिन्ता यह थी कि अलग राज्य बनाने की माँग से देश की एकता पर आँच आयेगी। आशंका थी कि नये भाषाई राज्यों में अलगाववाद की भावना पनपेगी और नव-निर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा। जनता के दबाव में आखिकार भारत सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बनाया।

(i) उम्मीद थी कि अगर प्रत्येक क्षेत्र के क्षेत्रीय और भाषाई दावे को मान लिया गया तो बँटवारे और अलगाववाद के खतरे में कमी आयेगी।

(ii) इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नये राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा गया। राज्यों के भाषाई पुनगर्छन से राज्यों के सीमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिला है। अनेक आशंकाओं के विपरीत देश आज भी अखण्डित रूप में है बल्कि इससे देश की एकता और अधिक मजबूत हुई है। भाषाई राज्यों के पुनगर्छन से विभिन्नता के सिद्धान्त को भी स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषाई आधार राज्य पुनर्गठन मामले ने देश में अलगाववाद की भावना को पनपाने के स्थान पर उसे मजबूती प्रदान की है।

भाषाई आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम सिद्ध होना-- भारत के लोकतांत्रिक देश होने का अर्थ है-विभिन्नताओं को पहचानना व उन्हें स्वीकार करना। इसके साथ ही यह मानकर चलना कि विभिन्नताओं में परस्पर विरोध भी हो सकते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो, भारत में लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन पद्धति की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई है। सन् 1952 से लेकर सन् 2014 तक लगातार कई , राज्यों के पुनर्गठन हुए हैं और पुनर्गठित राज्यों में पहले की अपेक्षा अधिक आन्तरिक शान्ति ' का माहौल देखा जा सकता है। पुनर्गठित राज्यों के

आर्थिक विकास का संदर्भ भी लिया जा सकता है। इसी प्रकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सीधा सम्बन्ध क्षेत्र विशेष के लोगों की विचारधारा और जीवन शैली से है।

क्षेत्रीय मांगों को मानना तथा भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा गया। भाषाई राज्य तथा इन राज्यों के गठन के लिए चले आन्दोलनों ने लोकतांत्रिक राजनीति तथा नेतृत्व की प्रकृति को बुनियादी रूपों में बदला है। भाषाई पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिला। इससे देश की एकता और अधिक मजबूत हुई। भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता में एकता के सिद्धान्त को स्वीकृति मिली। लोकतंत्र को चुनने का अर्थ था विभिन्नताओं को पहचानना तथा उन्हें स्वीकार करना। अतः भाषाई आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम साबित हुआ।

25. निम्न पर टिप्पणी लिखिए -

(i) राम मनोहर लोहिया (ii) सी. नटराजन अन्नादुरई (iii) कर्पूरी ठाकुर

उत्तर-- **(i) राम मनोहर लोहिया--** इनका जन्म सन् 1910 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1967 में हुयी। ये एक प्रसिद्ध समाजवादी नेता व विचारक थे। ये प्रसिद्ध स्वतंत्रत सेनानी व कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य रहने के साथ-साथ मूल पार्टी के विभाजन के पश्चात सोशलिस्ट पार्टी व बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता बने। ये 1963 से 1967 तक लोकसभा सांसद रहे। ये मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक संपादक रहे थे। इन्होंने गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धान्त के विकास में मौलिक योगदान दिया। इन्हें गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है। इन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वकालत की तथा अंग्रेजी का विरोध किया। ये नेहरू के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले राजनेता के रूप में भी जाने जाते हैं।

(ii) सी. नटराजन अन्नादुरई-- इनका जन्म 1909 में हुआ तथा इनकी मृत्यु सन् 1969 में हुयी थी। ये 1967 में मद्रास प्रान्त के मुख्यमंत्री बने। इनकी पहचान एक चर्चित पत्रकार के रूप में भी थी। ये एक प्रसिद्ध वक्ता व लेखक रहे। इनका सम्बन्ध मद्रास राज्य की जस्टिस पार्टी से था। बाद में ये द्रविड़ कषगम में शामिल हो गये थे। इन्होंने सन् 1949 में द्रविड़ मुनेत्र कषगम पार्टी का राजनीतिक पार्टी के रूप में गठन किया। ये द्रविड़ संस्कृत के प्रबल समर्थक रहे तथा हिन्दी का विरोध व हिन्दी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व भी किया। ये राज्यों की व्यापक स्वायत्तता के प्रबल समर्थक रहे।

(iii) कर्पूरी ठाकुर-- इनका जन्म सन् 1924 में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1988 में हुयी। ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी नेता रहे। दिसम्बर 1970 व जून 1971 तथा जून 1977 व अप्रैल 1979 के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इनका मजदूर व किसानों आंदोलनों में सक्रिय योगदान रहा। ये राम मनोहर लोहिया के प्रबल समर्थक थे। जेपी द्वारा चलाये गए आंदोलन में इनकी अहम भागीदारी रही। इन्होंने बिहार के पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू करवाने का कार्य किया। इन्होंने अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल को प्रबल विरोध किया।

26. संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का वर्णन करते हुए भारतीय भूमिका को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-- संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग निम्नवत् हैं---

(1) आमसभा-- यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रत्येक राष्ट्र सदस्य होता है। प्रतिवर्ष इसका एक अधिवेशन होता है। आवश्यक होने पर विशेष अधिवेशन भी हो सकते हैं। नए सदस्यो को सदस्यता देना, सुरक्षा परिषद् के अस्थायी सदस्यों का चयन, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति तथा बजट पारित करना इत्यादि इसके प्रमुख कार्य हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है।

(2) सुरक्षा परिषद्-- इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी कहा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन (इंग्लैण्ड), फ्रांस, रूस तथा चीन इसके स्थायी सदस्य हैं। इसके अलावा इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते है, जिनका निर्वाचन महासभा प्रति दो वर्ष बाद करती है, इसका प्रमुख कार्य विश्व में शांति की स्थापना करके उसे बनाए रखना है।

(3) आर्थिक और सामाजिक परिषद्-- इसका गठन महासभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों से होता है। यह विश्व में सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के कार्य करती है।

(4) न्यासिता परिषद-- यह परिषद् उन देशों के प्रबन्धन की देखभाल के लिए गठित की गई थी, जिन्हें द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् औपनिवेशिक देशों से मुक्ति मिली थी, लेकिन जो स्वयं अपना शासन चलाने में सक्षम नहीं थे।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय-- संयुक्त राष्ट्र संघ का यह अंग विश्व के देशों के बीच के विवादों का निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार करता है। इसके न्यायाधीशों.की नियुक्ति महासभा द्वारा की जाती है। इसका मुख्यालय हेग में है।

(6) सचिवालय-- सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के विविध अंगों तथा उसके स्वयं के कार्यालय के रूप में कार्य करता है। महासचिव कार्यालय का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है. तथा उसका चयन सुरक्षा परिषद् की अनुशंसा पर आमसभा द्वारा किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान

भारत संयुक्त राष्ट्र का प्रबल समर्थक है, अतः वह उसमें पूर्ण आस्था रखता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान अथवा भूमिका को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है–

(1) संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों का राष्ट्र परिपालन-- भारत 30 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। उसने प्रारम्भ से ही संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों का परिपालन किया है। उदाहरणार्थ-1948ए 1965 तथा 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेश पर भारत ने युद्ध विराम किया था।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान तथा विश्व शान्ति की स्थापना में सहायता-- भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर अनेक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में निर्णायक भूमिका का

निर्वहन किया है। उदाहरणार्थ- : कोरिया, हिन्द-चीन, कांगो तथा मिस्र इत्यादि देशों की समस्या को हल करने में भारत का । योगदान दुनिया से छिपा हुआ नहीं है।

(3) संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन में सहयोग-- भारत ने शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली तथा उसके संगठन में सहभागिता की है।

(4) संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्वव्यापी संगठन बनाने का प्रयास-- भारत ने सदैव यह प्रयास किये हैं कि विश्व के सभी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बनें। भारत चाहता है कि यह संगठन विश्वव्यापी बने जिससे यह दुनिया में शान्ति स्थापित करने में प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सके। एक समय था जब संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत रूस अन्य देशों को संघ का सदस्य बनने में रुकावट पैदा कर रहे थे। लेकिन भारत ने दोनों देशों को सहमत करके 18 नए देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दिलाई जिसमें जनवादी चीन भी सम्मिलित था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या 193 हो गई है तथा इसमें भारत का निश्चित रूप से महत्वपूर्ण योगदान है।

27. भारत में देशी रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

उत्तर--- **(i) जूनागढ़ का विलय--** गुजरात के काठियावाड़ के जूनागढ़ का राज्य एक मुसलमान नवाब के अधीन था। स्थल मार्ग से पाकिस्तान के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं था फिर भी जिन्ना ने उसे पाकिस्तान में मिलने के लिए मना लिया था। किन्तु नवाब, जिन्ना तथा माउण्टबेटन की चाल सफल नहीं हो सकी। जूनागढ़ और काठियावाड़ के लोगों को तत्काल विद्रोह का बिगुल बज उठा। एक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई और जनमत संग्रह कराया गया। जनमत में लोगों ने भारत के साथ रहना मंजूर किया, नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया।

(ii) कश्मीर का विलय-- भारत में कश्मीर के विलय को लेकर महाराजा हरीसिंह पशोपेश में थे कि इसी बीच महाराजा की चुप्पी को देखकर पाकिस्तानी कबाइली एकाएक कश्मीर पर में घुस आये। पाकस्तानी आक्रमणकारियों को अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था। जब आक्रमणकारी श्रीनगर तक पहुँच गये तो हरीसिंह ने भारत विलय की घोषणा कर दी। 26 अक्टूबर, 1947 को विलय पत्र पर महाराजा के हस्ताक्षर करने के बाद भारत की सेना ने पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को रोका तथा उन्हें खदेड़ दिया।

(iii) हैदराबाद का विलय-- हैदराबाद भारत का दूसरा देशी राज्य था जो भारत के लिए काफी सिरदर्द का कारण बना। हैदराबाद का निजाम भी सीधे निर्णय न लेकर ब्रिटिश साम्राज्य के साथ साँठ-गाँठ कर एक स्वतन्त्र राष्ट्र का स्वप्न देख रहा था। जब माउण्टबेटन के भारत छोड़ने पर सी. राजगोपालाचारी 1948 ई. में गवर्नर बने तो 13 सितम्बर, 1948 को रजाकारों को खदेड़कर निजाम से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाये। अब अन्य राज्यों की तरह हैदराबाद का भी विलय भारत में हो गया।

(iv) भोपाल का विलय-- एक और जटिल एवं संकटपूर्ण समस्या भोपाल के नवाब की थी। यहाँ का नवाब क्रिप्स मिशन घोषणा के बाद भारत के विरोधी गुट में शामिल हो गया था। इसके द्वारा हिन्दू

तथा मुस्लिम नरेशों को फुसलाने का प्रयत्न किया गया जसका विरोध बीकानेर तथा पटियाला के महाराजा ने किया। जिन्ना तथा नवाब लीग के नेता लगातार इन नरेशों को लालच देकर पाकिस्तान में मिलने के लिए कहते रहे। सरदार पटेल ने यहाँ सख्ती से काम लिया और भोपाल का विलय भारत के साथ हो गया।

(v) राजपूत राज्यों का भारत में विलय-- हिन्दू राजाओं ने अधिक समस्या खड़ी नहीं की। उदयपुर, जोधपुर के महाराणा शुरू से भारत के समर्थक थे और वे भारत के मिल गये।

जोधपुर ओर जैसलमेर राज्यों ने अन्तिम से भारत में मिलने की इच्छा व्यक्त जोधपुर नरेश हनुमन्त सिंह पाकिस्तान में के इच्छुक थे व अपने साथ जैसलमेर के लाना चाहते थे। जिन्ना और मुस्लिम ली यही चाहते थे किन्तु वी. पी. मेनन ने चक्कर चलाया कि जिन्ना की यो धरी-की-धरी रह गई। राजा तुरन्त । विलय के लिए राजी हो गये। एक अन्य हिन्दू राजा त्रावणकोर ने रू रहने की घोषणा कर दी। परन्तु कांग्रेस भूमिगत नेताओं ने आन्दोलन छेड़ दिया। ने तुरन्त विलय-पत्र पर हस्ताक्षर कर ति इस तरह भारत संघ में राज्यों के सफल दि का ऐतिहासिक महत्व है। इस कार्य सफलता के सोपान तक पहुँचाने में स वल्लभ भाई पटेल की भूमिका निश्चित सराहनीय मानी जा सकती है।

28. गैर कांग्रेसवाद से क्या तात्पर्य है? गैर कांग्रेसवाद की प्रमुख नीतियों का वर्णन करते हुए गठबंधन की राजनीति का उल्लेख कीजिए।

उत्तर– गैर-कांग्रेसवाद-- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही कुछ समाजवादी नेताओं ने देश में कांग्रेस विरोधी अथवा गैर-कांग्रेसवाद का राजनैतिक माहौल बनाने का प्रयत्न किया। देश में सारा राजनैतिक माहौल और अन्य क्षेत्रों से जुडी हुई स्थिति देश की दलगत राजनीति से अलग- थलग नहीं रह सकती थी। विपक्षी दल जनविरोध की अगुवाई कर रहे थे तथा सरकार पर दबाव डाल रहे थे। कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने अनुभव किया कि उनके वोट बैट जाने के कारण ही कांग्रेस सत्तासीन है।

गैर-कांग्रेसवाद की नीतियाँ-- जो दल अपने कार्यक्रमों या विचारधाराओं के धरातल पर एक-दूसरे से एकदम अलग थे, वे सभी दल एकजुट हुए तथा उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया और अन्य राज्यों में सीटों के मामले में चुनावी तालमेल किया। इन दलों को लगा कि इंदिरा गाँधी की अनुभवहीनता तथा कांग्रेस की अंदरूनी उठा-पटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा है।

समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया ने इस रणनीति को 'गैर-कांग्रेसवाद' का नाम दिया। उन्होंने 'गैर-कांग्रेसवाद' के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन को अलोकतांत्रिक तथा गरीब लोगों के हितों के विरुद्ध है। अतः गैर-कांग्रेसी दलों का एक साथ आना आवश्यक है, जिससे गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके।

गठबंधन की राजनीति-- व्यापक जन असंतोष तथा राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के इसी माहौल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए फरवरी 1967 में चौथे आम चुनाव हुए। कांग्रेस को सात राज्यों में बहुमत नहीं मिला। आठ राज्यों में विभिन्न गैर-कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकार बनी।

इस प्रकार सन् 1967 ई. के चुनावों से गठबंधन की परिघटना सामने आई। चूँकि किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए अनेक गैर-कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया तथा गैर-कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। अधिकांश मामलों में ऐसी सरकार के घटक दल विचारधारा की दृष्टि से एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए; बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में दो समाजवादी पार्टियाँ-एसएसपी तथा पीएसपी शामिल थीं। इसके साथ इस सरकार में वामपंथी सीपीआई तथा दक्षिणपंथी-जनसंघ भी शामिल थे। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को 'पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट' की सरकार कहा गया। इसमें उस समय के दो परस्पर प्रतिस्पर्धी अकाली दल संत ग्रुप तथा मास्टर ग्रुप शामिल थे। इसके साथ । सरकार में दोनों साम्यवादी दल सीपीआई तथा सीपीआई (एम), एसएसपी, रिपब्लिकन पार्टी तथा भारतीय जनसंघ भी सम्मिलित थे।

29. हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और उससे उत्पन्न विपदा को रोकने में नाकामयाब रहा है, लेकिन विभिन्न देश अभी भी इसे बनाए रखना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अपरिहार्य संगठन मानने के क्या कारण हैं ?

उत्तर– हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और उससे उत्पन्न विपदा को रोकने में नाकामयाब रहा है परन्तु फिर भी हर देश इसे एक महत्त्वपूर्ण एवं अपरिहार्य संगठन मानता है। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने पूर्ववर्ती संगठन-राष्ट्र संघ की तरह दूसरे विश्वयुद्ध के बाद असफल नहीं रहा। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाए रखना आवश्यक है। इसके अन्य प्रमुख निम्नलिखित कारण है-

(1) संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व के अन्य देशों के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत करवा सकता है। इसी के माध्यम से छोटे एवं निर्बल देश अमेरिका से किसी भी मसले पर बात कर सकते हैं।

(2) सन् 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश सदस्य बन चुके हैं। यह विश्व का सबसे प्रभावशाली मंच है। यहाँ पर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सुरक्षा तथा सामाजिक, आर्थिक समस्याओं पर खुले मस्तिष्क से वाद-विवाद और विचार-विमर्श होता है।

(3) संयुक्त राष्ट्र संघ के पास ऐसी कोई शक्ति तो नहीं है कि वह किसी देश को बाध्य करे, परन्तु वह ऐसे देशों की शक्तियों पर अंकुश अवश्य लगा सकता है चाहे वह संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा देश ही क्यों न हो। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्यों (देशों) के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका तक की नीतियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है।

(4) आज कुछ राष्ट्रों के पास परमाणु बम हैं किन्तु बड़ी शक्तियों के प्रभाव के कारण काफी सीमा तक सर्वाधिक भयंकर हथियारों के निर्माण और रसायन व जैविक हथियारों का प्रयोग और निर्माण को रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ को सफलता मिली है।

(5) संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व .विश्व बैंक से पिछड़े और गरीब राष्ट्रों को ऋण, भुगतान और आपातकाल में अनेक प्रकार की सहायता दिलाने में सक्षम रहा है। इसलिए इसका अस्तित्व में रहना आवश्यक है।

(6) आज प्रत्येक देश पारस्परिक निर्भरता को समझने लगा है और पारस्परिक निर्भरता बढ़ रही है। इसके पीछे भी संयुक्त राष्ट्र संघ है। यह एक ऐसा मंच है जिस पर विश्व के अधिकांश देश उपलब्ध रहते हैं। कोई भी देश पूर्ण नहीं होता उसे सदैव दूसरे देश के सहयोग की आवश्यकता होती है फिर चाहे वह अमेरिका हो या इंग्लैण्ड। उपरोक्त कारणों से स्पष्ट होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उपयोग और अधिक मानव मूल्यों, विश्व-बन्धुत्व एवं पारस्परिक सहयोग की भावना से किया जाना चाहिए। इसका अस्तित्व आज अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सहयोग के लिए परम आवश्यक है।

30. देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर– देसी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका-- सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के एक प्रमुख नेता थे। पटेल को 'लौह पुरुष' कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् रियासतों का भारत में विलय करना सरल कार्य नहीं था। इस कार्य में प्रमुख बाधा थीं-जिन्ना द्वारा स्वयं को पूर्ण स्वतंत्र करना व भारत तथा पाकिस्तान दोनों से सम्बन्ध रखना। परन्तु सरदार पटेल ने असाधारण योग्यता का परिचय दिया। 5 जुलाई, 1947 ई. को सरदार पटेल की अध्यक्षता में 'स्टेट विभाग' की स्थापना की गयी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री की हैसियत से पटेल ने सबसे पहले 565 रजवाड़ों का भारत संघ में विलय करना ही अपना पहला कर्त्तव्य समझा। सरदार पटेल ने देखा कि 565 राज्यों में से 100 राज्य प्रमुख थे, जैसे हैदराबाद, कश्मीर, बड़ौदा. ग्वालियर, मैसूर आदि। सरदार पटेल के प्रयासों से शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से लगभग समस्त रियासतें जिनकी सीमाएँ स्वतंत्र भारत की नयी सीमाओं से मिलती थीं, 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में सम्मिलित हो गए। अधिकांश रियायतों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को 'इंस्ट्रमेंट ऑफ़ एक्सेशन' कहा गया।

जूनागढ़, हैदराबाद व कश्मीर की रियासतों का भारत में विलय करने के लिए सरदार पटेल को सेना की सहायता भी लेनी पड़ी। जूनागढ़ गुजरात के दक्षिण-पश्चिम किनारे पर स्थित एक छोटी सी रियासत थी। इस रियासत की जनता मुख्यतः हिन्दू थी तथा इसका नबाव मुसलमान था। वह पाकिस्तान में मिलना चाहता था जबकि जनता भारत में। सरदार पटेल ने नबाव पर जनमत संग्रह कराने का दबाव डाला। नबाव द्वारा असहमत होने पर सरदार पटेल ने सेना की सहायता से जूनागढ़ रियासत का, भारत में विलय कराया।

हैदराबाद भारत के दक्षिण में स्थित एक विशाल राज्य था। यहाँ का शासक जिसे निजाम कहा जाता था, वह आजाद रियासत का दर्जा चाहता था। जनता निजाम के अत्याचारी शासन से परेशान थी। वह

भारत में मिलना चाहती थी। सरदार पटेल के प्रयासों से निजाम को आत्मसमर्पण करना पड़ा और यह रियासत भी भारत में सम्मिलित हो गयी।

इसी प्रकार कश्मीर का भारत में विलय हुआ। यहाँ का हिन्दू शासक भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। उसने अपने स्वतंत्र राज्य के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ समझौता करने की कोशिश की। पाकिस्तान के घुसपैठियों से परेशान होकर यहाँ के शासक ने भारत से मदद माँगी और संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार पटेल के प्रयासों से इन रियासतों का भारत संघ में विलय हुआ । इसके अलावा सरदार पटेल ने रियासतो से अपील की कि वे भारत की अखण्डता को बनाए रखने में उनकी सहायता करें। इस प्रकार सभी रियासतों का भारत में विलय कराने में सरदार पटेल सफल रहे। यह उनकी असाधारण उपलब्धि थी, जिसने भारत को अखण्डता की रक्षा की।

31. कांग्रेस की पुनर्स्थापना से जुड़ी घटनाओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर– **(i) कांग्रेस तथा ग्रैंड अलायंस में मुकाबला--** फरवरी 1971 में पाँचवीं लोकसभा का आम चुनाव हुआ। चुनावी मुकाबला कांग्रेस (आर) के विपरीत जान पड़ रहा था। आखिर नई कांग्रेस एक जर्जर होती हुई पार्टी का एक भाग मात्र थी। सभी को भरोसा था कि कांग्रेस पार्टी की वास्तविक संघटनात्मक शक्ति कांग्रेस (ओ) के नियंत्रण में है।

(ii) दोनों राजनैतिक खेमों में अंतर– इसके बावजूद नई कांग्रेस के साथ एक ऐसी बात थी, जिसका उनके बड़े विपक्षियों के पास अभाव था। नयी कांग्रेस के पास एक मुद्दा था। एक एजेंडा तथा कार्यक्रम था। ''ग्रेड अलायंस" के पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। इंदिरा गांधी ने देश भर में घूम-घूम कर कहा था कि विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है, 'इंदिरा हटाओ'।

(iii) चुनाव के परिणाम- कांग्रेस (आर.) तथा सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिली, उतनी कांग्रेस पिछले चार आम चुनावों में कभी हासिल नहीं कर सकी थी। इस गठबंधन को लोकसभा की 375 सीटें मिली तथा इसने कुल 48.4 प्रतिशत वोट हासिल किए। अकेली इंदिरा गांधी की कांग्रेस (आर) ने 352 सीटें तथा 44 प्रतिशत वोट हासिल किए थे।

अपनी भारी जीत के साथ इंदिराजी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने अपने दावे को साबित कर दिया कि वही "वास्तविक कांग्रेस" है तथा उसे भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पुनर्स्थापित किया। विपक्षी ग्रैंड अलायंस धराशायी हो गया था। इसे 40 से भी कम सीटें मिली थीं।

(iv) बांग्लादेश का निर्माण तथा भारत-पाक युद्ध-- सन् 1971 के लोकसभा चुनावों के तुरन्त बाद पूर्वी पाकिस्तान (जो अब बांग्लादेश है।) में एक बड़ा राजनीतिक तथा सैन्य संकट उठ खड़ा हुआ। सन् 1971 के चुनावों के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ तथा भारत-पाक के मध्य युद्ध छिड़ गया।

(v) राज्यों में कांग्रेस की पुनर्स्थापना-- सन् 1972 के राज्य विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को व्यापक सफलता मिली। उन्हें गरीबों तथा वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में

देखा। पार्टी के अंदर अथवा बाहर उसके विरोध की कोई गुंजाइश नहीं बची। कांग्रेस लोकसभा के चुनावों में जीती थी तथा राज्य स्तर के चुनावों में भी। इन दो लगातार जीतों के साथ कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर कायम रहा। कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी। समाज के विभिन्न वर्गों में यह लोकप्रिय भी थी। महज चार साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व तथा कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी चुनौतियों को धूल चटा दी थी। जीत के पश्चात इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जरूर किया, परन्तु कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदलकर।